राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -- 641/2017/आबकारी/अजमेर.

श्री रामचन्द्र लालचन्दानी पुत्र स्व0 श्री शेवाराम (निदेशक)
मैसर्स फूड कोर्ट रेस्टोरेन्ट (यूनिट ऑफ सतगुरू इन्टरनेशनल
प्रा. लि.) III तल, बायोस्कोप सिनेमॉल, वैशालीनगर रोड़,अजमेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/07/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी मैसर्स फूड कोर्ट रेस्टोरेंट द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के पत्र क्रमांक प.38(ए)(39)पी/रे.बा./आब/2016–17/625 दिनांक 24.03.2017, जिसके जरिये अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 के लिये रेस्टोरेंट बार लाईसेंस क्रमांक 43/2016–17 जारी किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये अपने रेस्टोरेंट में बार लाईसेंस हेतु आबकारी आयुक्त के समक्ष आवेदन किया गया, जिसके लिये आबकारी विभाग से जारी चालान क्रमांक 0014887774 दिनांक 28.01.2017 राशि रूपये 5010/– एवं चालान क्रमांक 0014887853 दिनांक 28.01.2017 राशि रूपये 6,00,000/– दिनांक 04.02.2017 को राजकोष में जमा करवाये गये। उक्त चालानों में वर्ष 01.04.2016 से 31.03.2017 अंकित था। इसके पश्चात् राज्य सरकार की वर्ष 2017–18 व 2018–19 की आबकारी नीति के बिन्दु संख्या 5.2 के अनुसार लाईसेंस फीस 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किये जाने के आधार पर अन्तर राशि रूपये 1 लाख दिनांक 27.02.2017 को जरिये चालान संख्या 0015314547 से जमा करवायी गयी, उक्त चालान में वर्ष 01.04.2017 से 31.03.2018 अंकित किया गया। चालान संख्या 0014887774 एवं 0014887853 दिनांक 28.01.2017 के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 के लिये दिनांक 23.03.2017 को लाईसेंस जारी किया गया, जो कि प्रार्थी को दिनांक 11.04.2017 (आलौच्य वर्ष समाप्ति के पश्चात्) को तामील करवाया गया। उक्त

लगातार.....2

तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये आवेदन किया गया, जबकि आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये दिनांक 23.03.2017 को लाईसेंस जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उनके द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये आवेदन किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि दिनांक 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाईसेंस जारी किया जावे। इस बाबत् विभाग द्वारा जारी चालान अनुसार प्रार्थी द्वारा राजकोष में नियमानुसार राशि जमा करवाई गई। विभागीय सॉफ्टवेयर अथवा लिपिकीय त्रुटि से वर्ष 2017–18 के स्थान पर 2016–17 हो गया, जिसमें अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं है जबकि विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2017 को वर्ष 2017–18 के स्थान पर वर्ष 2016–17 के लिये लाईसेंस जारी करने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई एवं ना ही कोई कारण बताया गया बल्कि केवल अपीलार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से उक्त कृत्य किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने एवं जारी लाईसेंस को वर्ष 2017–18 के लिये प्रभावी करने हेतु आबकारी आयुक्त को निर्देशित किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जिन चालान से लाईसेंस फीस जमा करवाई गई है वह वर्ष 2016–17 के लिये थे, ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये लाईसेंस जारी किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु केवल यह है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये रेस्टोरेंट बार लाईसेंस हेतु आवेदन किया गया है अथवा वर्ष 2016–17 के लिये। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2017 के अवलोकन पर यह अंकित होना पाया है कि "....request that I/We may be granted Restaurant Bar Licence for the retail sale of beer (including draught beer but excluding beer of strength above 8.75 degree proof), (R.T.D.) liquor and wine for consumption on the premises of our restaurant Food Court Unit of Satguru International Pvt. Ltd. Situated at IIIrd floor Bioscope Cine Mall,

लगातार.....3

Vaishali Nagar Road, Ajmer for the **Year ending 31st March 2018.**" उक्त आवेदन–पत्र के साथ अपीलार्थी द्वारा चालान संख्या 0014887774 एवं 0014887853 दिनांक 28.01.2017 के द्वारा रूपये 6,05,010/– राजकोष में जमा करवाये गये हैं। उक्त चालान अपीलार्थी को विभाग द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, जिनमें राशि जमा होने का वर्ष 2016–17 का अंकन किया हुआ है। इसके पश्चात् राज्य सरकार की नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप अधिक राशि जमा होने की आवश्यकता के मद्देनजर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की पालना में अपीलार्थी द्वारा अन्तर राशि रूपये 1,00,000/– जरिये चालान संख्या 0015314547 दिनांक 27.02.2017 से जमा करवायी गयी एवं उक्त चालान में वर्ष 2017–2018 अंकित किया गया है एवं इसी प्रार्थना–पत्र के संदर्भ में लाईसेंस देने की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी है जिसका हवाला पत्रावली के आदेश पत्र पृष्ठ 1 के बिन्दु संख्या 7 पर देते हुए लाईसेंस जारी करने की अनुशंषा पृष्ठ 2 के बिन्दु संख्या 9 पर समिति की राय में अनुज्ञापत्र देने की अनुशंषा की जाती है, के रूप में की गयी है। प्रकरण में प्रार्थना–पत्र वर्ष 2018 समाप्ति के लिये होने एवं जांच के पश्चात् रूपये 1,00,000/– के अतिरिक्त चालान वांछित होने पर वर्ष 2017–18 स्पष्ट लिखते हुए अतिरिक्त राशि जमा करवाई गई है ऐसी स्थिति में वर्ष 2017–18 के लिये ही लाईसेंस जारी करने की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर लाईसेंस जारी किया गया है परन्तु एक चालान में त्रुटिवश वर्ष 2016–17 अंकित होने से एवं प्रार्थना–पत्र वर्ष 2017–18 के लिये होने के बावजूद भी वर्ष 2016–17 के लिये लाईसेंस जारी करना न्यायोचित नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि किसी तरह का संदेह होने पर इसकी सूचना दी जाती है जो नहीं दिये जाने से स्पष्ट है कि आवेदन–पत्र एवं रूपये 1,00,000/– के चालान से यह जानकारी थी कि आवेदन वर्ष 2017–18 के लिये किया गया था।

7. आयुक्त आबकारी द्वारा जो वर्ष 2016–17 के लिये बार लाईसेंस जारी किया गया था उसके सम्बन्ध में भी अपीलार्थी द्वारा संशोधन करने हेतु पत्र दिये जाने पर पुनः संशोधन की कार्यवाही में नोटशीट के पृष्ठ संख्या 4 पर यह अंकन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि वर्ष 2017–18 के लिये ही करवाई गई है अतः वर्ष 2017–18 के लिये ही अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने का आदेश करने की अनुशंषा की गयी जिसमें अतिरिक्त आयुक्त एवं वित्तीय सलाहकार द्वारा दिनांक 10.04.2017 को त्रुटि में संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गयी है एवं बाद की आदेशिका में केवल यह बिन्दु लेते हुए कि उनके आवेदन–पत्र पर 2016 के स्थान पर 2018 किया गया है, लाईसेंस को वर्ष 2016–17 के लिये जारी किया गया है, जो पूर्णतया अविधिक है क्योंकि इस

लगातार.....4

सम्बन्ध में किसी तरह का कोई संदेह नहीं था कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये ही आवेदन किया था जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है एवं वर्ष 2017–18 के लिये ही अतिरिक्त राशि रूपये 1,00,000/– जमा करवाई गई थी ऐसी स्थिति में गलत रूप से टिप्पणी अंकित करते हुए लाईसेंस में वर्ष 2016–17 अंकित किया गया है जो अनुचित है।

8. इसी क्रम में यह उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् जिला आबकारी अधिकारी के पत्र क्रमांक 298 दिनांक 18.03.2017 जो पत्रावली पर उपलब्ध है तथा ऑर्डरशीट के पेज संख्या 3 के पैरा 14 पर अंकित है के अनुसार भी वर्ष 2017–18 हेतु ही लाईसेंस जारी करने की जांच कर आयुक्त आबकारी को बार अनुज्ञापत्र जारी करने का पत्र लिखा गया था और उसी क्रम में आयुक्त आबकारी द्वारा पैरा संख्या 17 में बार लाईसेंस जारी करने का आदेश दिया गया है परन्तु जारी किये गये बार लाईसेंस में वर्ष 2016–17 का अंकन किया जाना स्पष्ट रूप से त्रुटि है जो पत्रावली से परिलक्षित होने से संशोधन योग्य है अतः आबकारी आयुक्त द्वारा जारी बार लाईसेंस में वर्ष 2017–18 का अंकन करने के निर्देश दिये जाते हैं।

9. परिणामस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से 7 दिवस की अवधि में प्रार्थी को वर्ष 2017–18 के लिये रेस्टोरेंट बार लाईसेंस जारी करें।

10. निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

4/7/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य